

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

द्वारा:

आवेदक के पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय के प्रमुख स्थान का नाम और पता

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग,

भारतीय रिजर्व बैंक,

9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,

शहीद भगत सिंह मार्ग,

मुंबई-400001

प्रिय महोदय,

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आवेदन

हम एतद्वारा ...(लिखतों का नाम) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

2. हम घोषणा करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संलग्न विवरणों/अनुबंधों में दी गई जानकारी सत्य/सही और पूर्ण है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

भवदीय

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कंपनी की मुहर:

तारीख और स्थान:

संलग्न: पत्रक

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम, कानूनी स्थिति और गठन।
2. प्रमोटरों/मालिकों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण (विदेशी होल्डिंग का विवरण, यदि कोई हो)।
3. वर्तमान निवल मालियत - लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो तो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
4. आवेदक पर संक्षिप्त टिप्पणी।
5. वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन में आवेदक और संबंधित कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं का पिछला अनुभव।
6. भारत में या अन्य न्यायक्षेत्रों में किसी विनियामक या किसी प्रवर्तन एजेंसी या किसी अदालत द्वारा आवेदक, उसके किसी प्रमोटर या निदेशक या उससे जुड़ी किसी कंपनी/फर्म/संस्था के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई या कारण बताओ नोटिस या आपराधिक अभियोजन का विवरण।
7. आवेदक, उसके किसी प्रमोटर या निदेशक, या उससे जुड़ी किसी कंपनी/फर्म/संस्था का विवरण जो किसी क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा प्रकाशित चूककर्ताओं की सूची में शामिल हो।
8. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विवरण जिसके लिए प्राधिकरण मांगा गया है: व्यापार के लिए प्रस्तावित वित्तीय लिखतों, लगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया दि सहित विवरण।
9. इन निदेशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और शर्तों के पालन के लिए रोडमैप।